न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 58 / 2016

तारीख रजू :– 04.11.2016

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

1. सुवेसिंह पुत्र मंगल उम्र 50 साल | जाति जाटव निवासी वण्डपुरा
2. हरज्ञान पुत्र मंगल उम्र 54 साल | मण्डावरा तहसील हिण्डौन

जिला करौली राजस्थान —————————————— प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील हिण्डौन —————————————— अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी * हिण्डौन सिटी, जिला-करौली *

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत् किये जाने संशोधन

उपस्थित :– 1. श्री प्यारेलाल पोहिया एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय

दिंनाक :– 31-03-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत् किये जाने संशोधन विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 385,386,387 ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण का सही नाम सुवेसिंह, हरज्ञान हैं, जबकि राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण सहवन से प्रार्थी सं01 सुवेसिंह का नाम खाता संख्या 385,386,387 में सुलहसिंह अंकित हो गया है तथा प्रार्थी सं02 हरज्ञान का नाम हरभान अंकित हो गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगणके राशन कार्ड, पहचान पत्र, बिजली के बिलों में सुवेसिंह तथा हरज्ञान अंकित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण का सही नाम सुवेसिंह, हरज्ञान है, जिसे राजस्व रिकार्ड में सुलहसिंह के स्थान पर सुवेसिंह तथा हरभान के स्थान पर हरज्ञान संशोधित किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण ने अपने नामों को संशोधित करने बाबत् हल्का पटवारी व तहसीलदार हिण्डौन से कहा लेकिन माननीय न्यायालय का आदेश लाने की कही। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जावे कि प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड खाता सं0 385,386,387 ग्राम मण्डावरा मे प्रार्थीगण का नाम सुलहसिंह के स्थान पर सुवेसिंह तथा हरभान के स्थान पर हरज्ञान दर्ज किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई जबाव पेश नहीं किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 का नया खाता सं0 385,386,387 ग्राम मण्डावरा, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड सं02के/281 हरज्ञान जाटव पुत्र मंगल जाटव निवासी बण्डपुरा पो0 मण्डावरा तहसील हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ, फोटो प्रति बी.पी.एल. न0 1400586 परिवार राशन कार्ड सं0 79 सुवेसिंह पुत्र मंगलराम निवासी बण्ड का पुरा मण्डावरा , फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र सं0 आरजे/11/086/135318 सुबेसिंह पुत्र मंगल निवासी मकान नं0 309 बण्ड का पुरा गांव बड का पुरा तहसील हिण्डौन के नाम से जारी हुआ, फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र सं0 आरजे/11/086/135278 हरज्ञान पुत्र मंगल निवासी मकान नं0 308 बण्ड का पुरा गांव बड का पुरा तहसील हिण्डौन के नाम से जारी हुआ, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 660004357462 हरज्ञान पुत्र मंगल निवासी बण्डपुरा मण्डावरा करौली के नाम से जारी हुआ, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 329413052907 सूबेसिंह पुत्र मंगल निवासी बण्डपुरा मण्डावरा करौली [illegible] जारी हुआ,सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक [illegible].06.2018, पटवारी हल्का मण्डावरा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible] मण्डावरा के द्वारा दिनांक 25.06.2018 को कैम्प न्याय आपके द्वार में तैयार किये गये मौका पर्चा असल पेश किये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 का नया खाता सं0 385 ग्राम मण्डावरा की खातेदारी रतन सुगन हरज्ञान भरतलाल सुलहसिंह पि0 मंगल हि0 5/42, रामेश्वर जगदीश पि0 श्रीचन्द हि01/9, सुलहसिंह पि0 मंगल हि01/18 रतन भरतलाल सुलहसिंह पिता मंगल हि03/7, हरभान उफ हरज्ञान पि0 मंगल हि02/7 कौम जाटव सा0वण्डपुरा देह खातेदार भरतलाल का हिस्सा 1/7 राहिन यूको बैंक शाखा हिण्डौन के नाम दज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 का नया खाता सं0 386 ग्राम मण्डावरा की खातेदारी रतन सुगन हरज्ञान भरतलाल सुलहसिंह पि0 मंगल हि0 5/84, रामेश्वर महेन्द्र जगदीश पि0 श्रीचन्द हि013/84, रतन सुगन हरज्ञान भरतलाल सुलहसिंह पि0 मंगल हि0 65/84, कौम जाटव सा0 देह खातेदार भरतलाल का हिंस्सा 1/7 राहिन यूको बैंक शाखा हिण्डौन के नाम दज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 का नया खाता सं0 387 ग्राम मण्डावरा की खातेदारी रतन सुगन हरज्ञान भरतलाल सुलहसिंह पि0 मंगल हि0 5/42, रामेश्वर महेन्द्र जगदीश पि0 श्रीचन्द हि01/42, रामेश्वर महेन्द्र जगदीश पि0 श्रीचन्द हि01/7, रतन सुगन हरभान भरतलाल सुलहसिंह पि0 मंगल हि0 5/7 कौम जाटव सा0वण्डपुरा देह खातेदार भरतलाल का हिस्सा 1/7 राहिन यूको बैंक शाखा हिण्डौन के नाम दज रिकार्ड है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड सं02के/281 हरज्ञान जाटव पुत्र मंगल जाटव निवासी वण्डपुरा पो0 मण्डावरा तहसील हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ,

फोटो प्रति बी.पी.एल. [illegible] 586 परिवार राशन कार्ड सं0 79 सुवेसिंह पुत्र मंगलराम निवासी वण्ड का पुरा [illegible] के नाम से जारी किया है।

फोटो प्रति [illegible] पत्र सं0 आरजे/11/086/135318 सुबेसिंह पुत्र मंगल निवासी मकान नं0 309 वण्ड का पुरा गांव बड का पुरा तहसील हिण्डौन के नाम से जारी है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र सं0 आरजे/11/086/135278 हरज्ञान पुत्र मंगल निवासी मकान नं0 308 बण्ड का पुरा गांव बड का पुरा तहसील हिण्डौन के नाम से जारी है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 660004357462 हरज्ञान पुत्र मंगल निवासी बण्डपुरा मण्डावरा करौली के नाम से जारी किया है,

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 329413052907 सूबेसिंह पुत्र मंगल निवासी बण्डपुरा मण्डावरा करौली के नाम से जारी किया है।

सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 24.06.2018 में अंकित किया है कि राजस्व कागजात में हरभान सिंह पुत्र मंगल जाटव एवं सुलहसिंह पुत्र मंगल जाटव दर्ज है जो गलत है जबकि इनका सही नाम हरज्ञान सिंह पुत्र मंगल व सूबेसिंह पुत्र मंगल जाति जाटव है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में इनके नामों को संशोधित कर सही नाम हरज्ञानसिंह पुत्र मंगल जाटव व सूबेसिंह पुत्र मंगल जाटव दर्ज किया जावे।

पटवारी हल्का मण्डावरा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मण्डावरा के द्वारा दिनांक 25.06.2018 को कैम्प न्याय आपके द्वार में तैयार किये गये मौका पर्चा में दर्ज किया है कि आज दिनाक 25.06.2018 को ग्राम पंचायत मण्डावरा कैम्प न्याय आपके द्वार में हरज्ञान उर्फ हरभान पुत्र मंगल व सुलहसिंह उर्फ सुबेसिंह पुत्र मंगल जाति जाटव के बारे में जानकारी की गई। जमाबन्दी सं0 2070–73 खाता सं0 385,386,387 में आवेदक हरभान पुत्र मंगल व सुलहसिंह पुत्र मंगल के स्थान पर हरज्ञान पुत्र मंगल व सुबेसिंह पुत्र मंगल जाति जाटव करवाना चाहता है। संलग्न राशन कार्ड, पहचान पत्र मतदाता , आधार कार्ड में सही नाम सुबेसिंह पुत्र मंगल व हरज्ञान पुत्र मंगल है व सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावरा द्वारा भी यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि हरज्ञान व हरभान पुत्र मंगल व सुबेसिंह व सुलहसिंह पुत्र मंगल एक ही व्यक्ति हैं। जबकि जमाबन्दी के खाता सं0 385,386,387 सं0 2070–73 में हरज्ञान के स्थान पर हरभान पुत्र मंगल व सुबेसिंह के स्थान पर सुलहसिंह पुत्र मंगल गलत दर्ज हो [illegible]

कैम्प न्याय आपके द्वार [illegible] ग्राम में जॉच की गई तो ग्रामीणों ने बताया कि हरज्ञान उर्फ हरभान पुत्र [illegible] व सुबेसिंह उर्फ सुलहसिंह पुत्र मंगल एक– एक ही व्यक्ति है। अतः हरभान के स्थान पर हरज्ञान पुत्र मंगल व सुलहसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

के स्थान पर सुबेसिंह पुत्र मंगल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मौका पर्चा पढकर सुनाया गया उपस्थित लोगो के हस्ताक्षर कराये गये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के खाता सं0 385,386,387 सं0 2070–73 ग्राम मण्डावरा में खातेदार हरभान उर्फ हरज्ञान पुत्र मंगल जाटव व हरभान पुत्र मंगल जाटव के स्थान पर हरज्ञान पुत्र मंगल जाटव दर्ज करने एवं सुलहसिंह पुत्र मंगल के स्थान पर सुबेसिंह पुत्र मंगल राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी सं0 2070–73 के नवीन खाता संख्या 385,386,387 ग्राम मण्डावरा के खातेदार हरभान उर्फ हरज्ञान पुत्र मंगल जाटव व हरभान पुत्र मंगल जाटव, हरज्ञान पुत्र मंगल जाटव के स्थान पर हरज्ञान उर्फ हरभान पुत्र मंगल जाटव दर्ज करने एवं सुलहसिंह पुत्र मंगल के स्थान पर सुबेसिंह उर्फ सुलहसिंह पुत्र मंगल राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिंनाक 31-03-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31-03-21

सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner